रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

18/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष पक्षा उप०। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस एवं मौका पर्चा अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। LR माण्डल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात को पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावे तथा प्रतिवादीगण का अनाधिकृत कब्जा पाये जाने पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को कब्जा सुपुर्द करावें विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नाजर ते कम को।

सहायक कलेक्टर
माण्डल, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— मेधा आनन्द, आई.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 96/2025 राजस्व वाद

अनवान

1— श्री हेमा पुत्र भैरू गाडरी निवासी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

— वादी

बनाम

1— श्री भगवानलाल पिता श्री सोहन गाडरी निवासी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
2— श्री रतनलाल पुत्र सोहन गाडरी निवासी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— श्री श्याम लाल रेगर (अधिवक्ता वादी)
श्री प्रदीप कुमार व्यास (अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2)

निर्णय

दिनांक 18.11.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाद वादी अन्तर्गत 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि ग्राम पिथास पटवार क्षैत्र पिथास भू.अ.नि. क्षैत्र पिथास तहसील माण्डल की खाता सं. 938 के आराजी सं. 3069/1631 रकबा 0.5059 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। वादी द्वारा उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाये जाने पर उक्त वादग्रस्त आराजी सं. 3069/1631 रकबा 0.5059 है0 में से 0.0126 है0 भूमि पर प्रतिवादी सं. 01 व 2 ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः प्रतिवादी सं. 01 व 02 को वादी की खातेदारी आराजी से बेदखल कर वादी को कब्जा सिपूर्द कराये जाने आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमायी जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगणों को जारी सम्मन नोटिस बाद तामील लौटकर प्राप्त हुए जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार व्यास द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं कर प्रतिवादीगण की और से हिदायत पैरवी नहीं करने से प्रतिवादीगण को बार—बार आवाज लगायी जाने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर पत्रावली को एक तरफा साक्ष्यवादी चरण नियत किया गया। वादी की शहादत में वादी द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस प्रदर्श 5 अंकित किये गये। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, ऑनलाईन नक्शा, सूचना पत्र, मौका पर्चा पेश किये गये जिसे प्रदर्श 1—4 अंकित किये गये।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से एक पक्षीय बहस सुनी गई। तत्पश्चात बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की आराजी सं. 3069/1631 रकबा 0.5059 है0 में से 0.0126 है0 भूमि पर मौके पर्चे अनुसार प्रतिवादी सं. 01 व 02 का अवैध कब्जा पाया गया है उस भु—भाग का वादी को कब्जा सिपूर्द किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलेक्टर
माण्डल,जिला भीलवाड़ा

::— आदेश —::

अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी सं. 01 व 02 स्वीकार कर तहसीलदार माण्डल को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि वादी की खातेदारी आराजियात ग्राम पिथास पटवार क्षैत्र पिथास भू.अ.नि. क्षैत्र पिथास तहसील माण्डल की खाता सं. 938 के आराजी सं. 3069/1631 रकबा 0.5059 है0 भूमि के मौके पर्चे अनुसार भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। नपती के संबधं में पक्षकारान् को न्यूनतम 03 दिन पूर्व सूचित किया जावें। नपती उपरान्त यदि वादी के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी सं. 01 व 02 का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावे तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01 व 02 से वादी को सिपूर्द किया जावे तथा वादी के खातेदारी हक एवं हिस्से के भू–भाग पर प्रतिवादीगण बेजादखल्दाजी एवं हस्तक्षेप नहीं करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मेधा आनन्द आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर माण्डल
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) माण्डल जिला भीलवाड़ा

:: मूल वाद में अन्तिम डिक्री ::

आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.

पीठासीन अधिकारी :– मेधा आनन्द, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 96/2025 राजस्व वाद

अनवान

1– श्री हेमा पुत्र भैरू गाडरी निवासी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

– वादी

बनाम

1– श्री भगवानलाल पिता श्री सोहन गाडरी निवासी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

2– श्री रतनलाल पुत्र सोहन गाडरी निवासी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री श्याम लाल रेगर (अधिवक्ता वादी)

श्री प्रदीप कुमार व्यास (अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2)

निर्णय

दिनांक 18.11.2025

अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी सं. 01 व 02 स्वीकार कर तहसीलदार माण्डल को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि वादी की खातेदारी आराजियात ग्राम पिथास पटवार क्षैत्र पिथास भू.अ.नि. क्षैत्र पिथास तहसील माण्डल की खाता सं. 938 के आराजी सं. 3069/1631 रकबा 0.5059 है0 भूमि के मौके पर्चे अनुसार भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। नपती के संबधं में पक्षकारान् को न्यूनतम 03 दिन पूर्व सूचित किया जावें। नपती उपरान्त यदि वादी के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी सं. 01 व 02 का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावे तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01 व 02 से वादी को सिपूर्द किया जावे तथा वादी के खातेदारी हक एवं हिस्से के भू–भाग पर प्रतिवादीगण बेजादखल्दाजी एवं हस्तक्षेप नहीं करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मेधा आनन्द आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर माण्डल
जिला भीलवाड़ा